Inspector (Food Supply) and FCI Brief Notes

Part-I

COMPETITION IQ

Proudly powered by

Education Bhaskar

Food Corporation of India (FCI)

- भारतीय खाद्य निगम (Food Corporation of India) की स्थापना 14 जनवरी 1965 को तमिलनाडु के तंजावुर में जिला कार्यालय में Food Corporations Act 1964 द्वारा की गयी थी | इसका मुख्यालय दिल्ली में है|
- Shri Yogendra Tripathi (wef 30 July 2015 F/N) (I.A.S), chairman & MDShri Yogendra Tripathi (wef 30 July 2015 F/N) (I.A.S), chairman & MD
- National Food Security Act, 2013 - राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अध्यादेश- 2013 पर 5 जुलाई 2013 को हस्ताक्षर किया था. इसी के साथ ही राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अध्यादेश- 2013 एक क़ानून बन गया. अध्यादेश आने के बाद राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक को 6 माह के अन्दर लोकसभा और राज्यसभा की मंजूरी अनिवार्य होती है.
    - पूर्व प्रधानमंत्री स्व. राजीव गांधी ने उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए 24 दिसंबर 1986 को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम संसद में पास करवाया। इसी कारण प्रत्येक वर्ष **24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस** मनाया जाता है। 1986 के बाद 1991, 1993 और 2002 में इस अधिनियम में कुछ संशोधन किए गए।
    - उपभोक्ता आंदोलन का प्रारंभ अमेरिका में रल्प नाडेर द्वारा किया गया था. नाडेर के आंदोलन के फलस्वरूप 15 मार्च 1962 को अमेरिकी कांग्रेस में तत्कालीन राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी द्वारा उपभोक्ता संरक्षण पर पेश विधेयक को अनुमोदित किया था. इसी कारण **15 मार्च को अंतरराष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस** के रूप में मनाया जाता है. अमेरिकी कांग्रेस में पारित विधेयक में चार विशेष प्रावधान थे.1. उपभोक्ता सुरक्षा के अधिकार.2. उपभोक्ता को सूचना प्राप्त करने का अधिकार.3. उपभोक्ता को चुनाव करने का अधिकार.

      4. उपभोक्ता को सुनवाई का अधिकार.

      अमेरिकी कांग्रेस ने इन अधिकारों को व्यापकता प्रदान करने के लिए चार और अधिकार बाद में जोड़ दिए.

Download our FREE HSSC/ SSC Android App from GET IT ON Google Play

1. उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार.

2. क्षति प्राप्त करने का अधिकार.

3. स्वच्छ वातावरण का अधिकार.

4. मूलभूत आवश्यकताएं जैसे भोजन, वस्त्र और आवास प्राप्त करने का अधिकार.

हरियाणा :

- खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, हरियाणा (Food and Supplies Department, Haryana): हरियाणा सरकार ने खाद्य एवं आपूर्ति विभाग का नाम बदलकर खाद्य, **'नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले'** विभाग कर दिया है।**हरियाणा के खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री करण देव कम्बोज** है | करण देव कम्बोज जी ने विधान सभा क्षेत्र से इंद्री (करनाल) से चुनाव लड़ा था|
- **HAFED (The Haryana State Cooperative Supply and Marketing Federation Ltd) हैफेड हरियाणा का सबसे बड़ा सहकारी संघ है।** हैफेड की स्थापना 1 नवम्बर 1966 को हुई जब हरियाणा बना था . हैफेड का मुख्यालय पंचकुला में है | हरियाणा राज्य सहकारी आपूर्ति एवं विपणन संघ लिमिटेड 2016 17 के लिए एसोसिएट श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले सार्वजनिक उपकरण के तौर पर मिला है।
    - **विधायक हरविंद्र कल्याण को हरियाणा स्टेट कापरेटिव सप्लाई एंड मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड (हैफेड) के चेयरमैन है** और उन्होंने ने 14-12-2015 को इस पद को ज्वाइन किया |
- तीन दिवसीय एग्री लीडरशिप समिट 17-19 मार्च 2017 को फरीदाबाद में हुई|
- 17 अप्रैल 2017 में हरियाणा में अनाज बैंक खोला गया- पानीपत मे

योजनाये :

- काम के बदले अनाज योजना कार्यक्रम- 1977-78

Download our FREE HSSC/ SSC Android App from GET IT ON Google Play

- अन्न पूर्णा योजना : 2000 ई.
- अंतोदय अन्न योजना : 2000 ई.
- अंतोदय योजना : 1977-78 मे

Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI)

भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI)) की स्थापना खाद्य सुरक्षा तथा मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किया गया है। FSSAI की स्थापना August 2011 में हुई| इसका मुखालय नई दिल्ली में है | पूर्व कृषि सचिव **आशीष बहुगुणा को भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकार (एफएसएसएआई) के अध्यक्ष (Chairperson)** है। इनका कार्यकाल 3 साल का होगा|

वही Senior *IAS* officer ***Pawan Kumar Agarwal*** को FSSAI का *Chief Executive Officer* (*CEO*) न्युक्त किया गया है |

इसका उद्देश्य खाद्य सामग्री के लिये विज्ञान पर आधारित मानकों का निर्माण करना तथा खाद्य पदार्थों के विनिर्माण, भण्डारण, वितरण, विक्री तथा आयात आदि को नियन्त्रित करना है ताकि मानव-उपभोग के लिये सुरक्षित तथा सम्पूर्ण आहार की उपलब्धि सुनिश्चित की जा सके।

National Bank For Agriculture And Rural Development (NABARD):

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) मुम्बई, महाराष्ट्र (मुखालय) अवस्थित भारत का एक शीर्ष बैंक है। इसे "कृषि ऋण से जुड़े क्षेत्रों में, योजना और परिचालन के नीतिगत मामलों में तथा भारत के ग्रामीण अंचल की अन्य आर्थिक गतिविधियों के लिए मान्यता प्रदान की गयी है। **हर्ष कुमार भनवाला (H.K Bhanwala) को राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (National Bank for Agriculture and Rural Development, नाबार्ड) का अध्यक्ष (Chairman, चेयरमैन) 13 दिसंबर 2013 को नियुक्त किया**. हर्ष कुमार भनवाला ने सितंबर 2013 में सेवानिवृत्त हुए डॉ प्रकाश बक्शी का स्थान लिया. हर्ष कुमार भनवाला का कार्यकाल पांच वर्ष का है.

Download our FREE HSSC/ SSC Android App from GET IT ON Google Play

शिवरामन समिति (शिवरामन कमिटी) की सिफारिशों के आधार पर *राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम 1981* को लागू करने के लिए संसद के एक अधिनियम के द्वारा **12 जुलाई 1982, को नाबार्ड की स्थापना** की गयी। इसने कृषि ऋण विभाग (एसीडी (ACD) एवं भारतीय रिजर्व बैंक के ग्रामीण योजना और ऋण प्रकोष्ठ (रुरल प्लानिंग एंड क्रेडिट सेल) (आरपीसीसी (RPCC)) तथा कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम (एआरडीसी (ARCD)) को प्रतिस्थापित कर अपनी जगह बनाई. यह ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण उपलब्ध कराने के लिए प्रमुख एजेंसियों में से एक है।

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक एक एेसा बैंक है जो ग्रामीणों को उनके विकास एवं आर्थिक रूप से उनकी जीवन स्तर सुधारने के लिए उनको ऋण उपलब्ध कराती है।

भूमिका:

ग्रामीण समृद्धि के फैसिलिटेटर के रूप में अपनी भूमिका का निर्वाह करने के लिए नाबार्ड को निम्नलिखित जिम्मेदारियाँ सौंपी गई हैं :

1. ग्रामीण क्षेत्रों में ऋणदाता संस्थाओं को पुनर्वित्त उपलब्ध कराना
2. संस्थागत विकास करना या उसे बढ़ावा देना
3. क्लाइंट बैंकों का मूल्यांकन, निगरानी और निरीक्षण करना.
4. ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न विकासात्मक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए जो संस्थान निवेश और उत्पादन ऋण उपलब्ध कराते हैं उनके वित्तपोषण की एक शीर्ष एजेंसी के रूप में यह कार्य करता है।
5. ऋण वितरण प्रणाली की अवशोषण क्षमता के लिए संस्थान के निर्माण की दिशा में उपाय करता है, जिसमे निगरानी, पुनर्वास योजनाओं के क्रियान्वयन, ऋण संस्थाओं के पुनर्गठन, कर्मियों के प्रशिक्षण में सुधार, इत्यादि शामिल हैं।
6. सभी संस्थाएं जो मूलतः जमीनी स्तर पर विकास में लगे काम से जुडी हैं, उनकी ग्रामीण वित्तपोषण की गतिविधियों के साथ समन्वय रखता है, तथा भारत सरकार, राज्य सरकारों, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई (RBI)) एवं नीति निर्धारण के मामलों से जुडी अन्य राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं के साथ तालमेल बनाए रखता है।

Download our FREE HSSC/ SSC Android App from GET IT ON Google Play

7. यह अपनी पुनर्वित्त परियोजनाओं की निगरानी एवं मूल्यांकन का उत्तरदायित्व ग्रहण करता है।

National Agricultural Cooperative Marketing Federation of India(NAFED/नेफेड)

भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ मर्यादित (National Agricultural Cooperative Marketing Federation of India / NAFED / नेफेड) भारत की बहु-राज्य सहकारी सोसायटीज अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत सहकार। सहकारी संस्था है। **इसकी स्थापना गांधी जयंती के पावन अवसर पर 2 अक्तुबर, 1958 को की गई थी। इसका मुखालय (Headquater) दिल्ली में है** | षि उत्पादों के सहकारी विपणन को बढाने के लिए की गई थी ताकि किसानों को लाभ मिल सके। नेफेड के सदस्य प्रमुख रूप में किसान है जिन्हें नेफेड के क्रियाकलापों में सामान्य निकाय के सदस्यों के रूप में विचार प्रकट करने तथा नेफेड के संचालन कार्यो में सुझाव देने का अधिकार है एंव उनका बहुत महत्व है।

नेफेड के प्रमुख उद्देश्यों में कृषि, उद्यान कृषि एवं वन उत्पाद का विपणन, संसाधन, भण्डारण की व्यवस्था करना, उन्नयन और विकास करना, कृषि यंत्रों, उपकरणों एवं अन्य प्रकार के उपकरणों का वितरण करना, अंतर्राज्यीय, राज्यांतर्गत, यथास्थिति थोक या खुदरा आयात-निर्यात व्यापार करना, भारत में इसके सदस्यों एवं सहकारी विपणन, संसाधन एवं संभरण समितियों के उन्नयन एवं कृषि के लिए कृषि उत्पादन में सहायता और तकनीकी परामर्श देने का कार्य करना है।

National Food Security Act (NFSA) 2013

सरकार ने संसद द्वारा पारित, **राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 दिनांक 10 सितम्बर, 2013 को अधिसूचित किया** है, जिसका उद्देश्य एक गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए लोगों

Download our FREE HSSC/ SSC Android App from GET IT ON Google Play

को वहनीय मूल्यों पर अच्छी गुणवत्ता के खाद्यान्न की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध कराते हुए उन्हें मानव जीवन-चक्र दृष्टिकोण में खाद्य और पौषणिक सुरक्षा प्रदान करना है।

- इस कानून के तहत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में 75 प्रतिशत तक तथा शहरी क्षेत्रों की 50 प्रतिशत तक की आबादी को रियायती दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने का प्रावधान है।
- इस प्रकार देश की लगभग दो-तिहाई जनसंख्या को इसका लाभ मिलने का अनुमान है।
- पात्र परिवारों को प्रतिमाह पांच कि. ग्रा. चावल, गेहूं व मोटा अनाज क्रमशः 3, 2 व 1 रुपये प्रति कि. ग्रा. की रियायती दर पर मिल सकेगा।
- अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) मे शामिल परिवारों को प्रति परिवार 35 कि. ग्रा. अनाज का मिलना पूर्ववत जारी रहेगा।
- इसके लागू होने के 365 दिन के अवधि के लिए, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएम) के अंतर्गत सब्सिडीयुक्त खाद्यान्न प्राप्त करने हेतु, पात्र परिवारों का चयन किया जाएगा।
- गर्भवती तथा स्तनपान कराने वाली महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान तथा प्रसव के छः माह के उपरांत भोजन के अलावा कम से कम 6000 रुपये का मातृत्व लाभ भी मिलेगा।
- 14 वर्ष तक की आयु के बच्चे पौष्टिक आहार अथवा निर्धारित पौष्टिक मानदण्डानुसार घर राशन ले जा सकें।
- खाद्यान्न अथवा भोजन की आपूर्ति न हो पाने की स्थिति में, लाभार्थी को खाद्य सुरक्षा भत्ता दिया जाएगा।
- इस अधिनियम के जिला एवं राज्यस्तर पर शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करने का भी प्रावधान है।
- पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिए भी आवश्यक प्रावधान किए गए

Public Distribution System(PDS)

सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) एक भारतीय खाद्य सुरक्षा प्रणाली है। **भारत में उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अधीन तथा भारत सरकार द्वारा स्थापित और राज्य सरकारों के साथ संयुक्त रूप भारत के गरीबों के लिए सब्सिडी वाले खाद्य और**

Download our FREE HSSC/ SSC Android App from GET IT ON Google Play

गैर खाद्य वस्तुओं वितरित करता है। यह योजना एक जून 1947 को भारत में लॉन्च की गयी थी। 1997 में वस्तुओं,मुख्य भोजन में अनाज, गेहूं, चावल, चीनी, और मिट्टी का तेल को उचित मूल्य की दुकानों(जिन्हें राशन की दुकानों के रूप में भी जाना जाता है) के एक नेटवर्क जो देश भर में कई राज्यों में स्थापित है के माध्यम से वितरित किया गया। भारतीय खाद्य निगम, जो एक सरकारी स्वामित्व वाली निगम है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली को संभालती है। राशन प्रणाली का प्रयोग 1940 में बंगाल भुखमरी के बाद से किया जा रहा है।

Important Full Forms:

- **FSSAI:** Food Safety and Standards Authority of India
- **NAM (eNAM):** National Agriculture Market
- **NAFED:** National Agricultural Cooperative Marketing Federation of India Ltd
- **NFSA:** National Food Security Act
- **APMC:** Agricultural Produce Market Committee
- **PDS:** Public Distribution System
- **NABARD:** National Bank for Agriculture And Rural Development

हरियाणा सामान्य ज्ञान

अम्बाला कैंट, नारनौंद उचाना समेत 10 नए उपमंडल बने:

अम्बालाकैंट, बाढड़ा (भिवानी), बड़खल (फरीदाबाद), नारनौंद (हिसार), बादली (झज्जर), उचाना (जींद), घरौंडा (करनाल), रादौर (यमुनानगर) में पुन्हाना (मेवात) और कालांवाली (सिरसा) है । इनके साथ ही प्रदेश में उप मंडलों की संख्या बढ़कर अब 72 हो गयी है ।

COMPETITION IQ

10 नई तहसील और 3 उपतहसील बनीं:

अम्बाला कैंट, बड़ खल (फरीदाबाद), बास (हिसार), उचाना, अलेवा (जींद), लाडवा (कुरुक्षेत्र), रायपुर रानी (पंचकूला), मतलौडा (पानीपत), बादली (झज्जर) और सिरसा जिले की कालांवाली को तहसील बनाया गया है.

Download our FREE HSSC/ SSC Android App from GET IT ON Google Play

इसी तरह खिजराबाद (यमुनानगर), पाल्हावास (रेवाड़ी) खेड़ी जालब (हिसार) को उप तहसील बनाने का फैसला किया गया। इनके साथ ही प्रदेश में **तहसीलों की संख्या अब 83 से बढ़कर 93 हो चुकी है**।

14 नएब्लॉक:

बादली,उचाना, मूनक, कुंजपुरा, पीपली, पिनगवा, डहीना, बड़ौली, पलवल, खिजराबाद, नागपुर, ढांड, तिगांव, इंद्री को नया ब्लॉक बनाया गया है। इनके साथ ही **प्रदेश में ब्लॉकों की संख्या 126 से बढ़कर अब 140** हो गई है|

Keep Supporting | Best wishes from:

COMPETITION IQ

Education Bhaskar

COMPETITION IQ

Download our FREE HSSC/ SSC Android App from GET IT ON Google Play